UPBS120000412008

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 239/2008

उदयशंकर बनाम सत्येन्द्र कुमार आदि

<u>18.11.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 42 क 2 के निस्तारण हेतु नियत है।

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 42 क 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा वादी उदयशंकर की मृत्यु दिनांक 30.06.2021 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिस उनके पुत्रगण एवं पुत्री हैं। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हैं। अतः मृतक के विधिक वारिसान को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 42 क 2 पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 42 क 2 वादी उदयशंकर की मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके विधिक वारिसों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। प्रस्तावित वारिसान जरिए वकालतनामा कागज सं० 44 ग 2 हाजिर हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बहुलता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 42 क 2 स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 42 क 2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 31.01.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।